(b) if so, what are the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LAW AND JUSTICE (SHRI H. R. BHARDWAJ): (a) As per information furnished by the Registry of the Supreme Court, the number of Petitions pending before the Supreme Court as on 1.7.1987 for over 15 years was 66 and the number of those pending between 10—15 years was 2422.

(b) The pendency is due to several complex factors including manifold increase in institutions and steps have been taken to expedite the disposals.

**Fire in Kaudia Electronics**

3316. SHRI SURAJ PRASAD: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a major fire broke-out in last week of October 1986 at the factory godown of Kaudia Electronics 14, Commercial Complex, Lawrance Road, New Delhi and T.V. components and goods worth Rs. 30 to 35 lakhs were destroyed;

(b) whether it is also a fact that goods belonging to National Small Scale Industries Corporation, Okhla, New Delhi and Kaudia Electronics Rajouri Garden, New Delhi were also destroyed at the above factory godown;

(c) if so, how much compensation was paid to National Small Scale Industries Corporation and Kaudia Electronics, New Delhi separately;

(d) whether Kaudia Electronics has filed a false and bogus claim for compensation; and

(e) whether Government propose to institute any enquiry in this connection and take suitable action against concerned establishments?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI M. ARUNACHALAM): (a) A major fire broke out at M/s. Kaudia Electronics premises at 14, Commercial Complex, Lawrance Road, Delhi on 25.10.86. According to the assessment done by the Surveyors appointed by the Insurance Company, property consisting of TV components worth Rs. 21,29,314/- were involved.

(b) Yes, Sir.

(c) The claim was assessed for Rs. 14,45,108/- and the payment of Rs. 10 lakhs was released to National Small Scale Industries Corporation, New Delhi after getting joint discharge from them as well as M/s. Kaudia Electronics. No separate payment has been made to M/s Kaudia Electronics. Following Delhi High Court Order in a recovery suit against M/s Kaudia Electronics balance payment has been with held.

(d) On the basis of evidence available with the Insurance Company following investigation and assesment conducted by Surveyors and Delhi Fire Service Report there is no reason to believe that M/s Kaudia Electronics filed a false and bogus claim for compensation.

(e) Does not arise.

**टायर उद्योग द्वारा की गई प्रगति**

3317. **डा० रत्नाकर पाण्डेय :** क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि टायर उद्योग ने पिछले पांच वर्षों की तुलना में 1986-87 में प्रत्येक दिशा में प्रगति की है ; और

(ख) यदि हां, तो इसका उपभोक्ता को किस हद तक लाभ मिला है ?

**उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरूणाचलम):** (क) आटोमोटिव टायरों का उत्पादन

1981 में 83 लाख था जो 1986 में बढकर लगभग 129 लाख हो गया है ।

(ख) आशा है कि टायरों की बढी हुई उपलब्धता से उपभोक्ताओं को लाभ होगा ।

**चमड़ा उद्योग**

3318. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चमड़े का निर्यात किये जाने के कारण लघु क्षेत्र के चमड़ा उद्योग को चमडा अधिक दरों पर मिल रहा है और उन्हें बड़ी कम्पनियों से मुकाबला करने में कठिनाई हो रही है; यदि हां, तो सरकार इस संबंध में क्या कदम उठा रही है ; और

(ख) सरकार प्रतिवर्ष कितनी मात्रा में चमडे और मांस का निर्यात करती है और इससे वार्षिक आय कितनी होती है और ये मदें कहां से प्राप्त की जाती हैं ?

**उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम)** (क) विदेशों में चमड़े और चमड़े के उत्पादों की वस्तुओं की मांग में वृद्धि होने के कारण, कच्ची खालों और चामों के साथ-साथ चमड़े के मूल्य में भी वृद्धि हुई है, जो उद्योग के सभी क्षेत्रों में लागू है । लघु क्षेत्र के लिए चमड़े की कोई कमी नहीं है । यह क्षेत्र घरेलू और विदेशी बाजार में प्रभावकारी ढंग से मुकाबला कर रहा है ।

सरकार मूल्यवर्धित चमड़े की के निर्यात वस्तुओं को बढ़ावा दे रही है और चमड़े की वस्तुएं बनाने वाले एककों को तैयार चमड़ा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 1 अप्रेल, 1987 से पूर्व तैयार चमड़े के निर्यात पर मिलने वाली नकद क्षतिपूरक सहायता समाप्त कर दी है । खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत सभी प्रकार की चमड़े की वस्तुओं के आयात की भी अनुमति दी जा रही है और क्रस्ट अवस्था तक चमड़े के आयात पर आयात शुल्क से छूट दी जा रही है । यहां तक कि गोजातीय तैयार चमड़े के आयात पर भी कोई आयात शुल्क नहीं लगता है ।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान चमड़े के निर्यात के आंकड़े नीचे दिए गए हैं :—

(आंकड़े मिलियन में)

| | 1984–85 | | 1985–86 | | 1986–87 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | मात्रा कि०ग्रा० | मूल्य (रुपये) | मात्रा कि० ग्रा० | मूल्य (रुपये) | मात्रा कि०ग्रा० | मूल्य (रुपये) |
| अर्ध तैयार चमड़ा | 6.62 | 491.56 | 5.22 | 490.72 | 5.59 | 525.08 |
| तैयार चमड़ा | 23.55 | 3085.28 | 21.99 | 2881.95 | 30.58 | 4008.94 |